प्रेस नोट

दिनांक 18.04.2025

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा गो तस्करी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0–09/25, धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम किजोरपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर को गढवारा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13.01.2025 को थाना कर्नलगंज के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह फोर्स के साथ चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त में रवाना होकर जहांगिरवा क्रासिंग के पास संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ट्रक संदिग्ध दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक चालक द्वारा गाड़ी भगाने का प्रयास किया गया जिससे ट्रक अनियिन्त्रित होकर पलट गया था तथा गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। पलटे हुए ट्रक से 05 अदद मृत व 14 अदद जीवित गौवंश बरामद हुए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 18.04.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर घटना में संलिप्त 01 वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम किजोरपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर को गढवारा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विशाल पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम किजोरपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–09/25, धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 रमेश कुमार।
02. हेड का0 अरविन्दर सिंह।
03. का0 असगर अली।

मीडिया सेल, गोण्डा।